न्यायालयः–सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–33/2018

बृज किशोर बनाम राम लखन आदि

<u>25.04.2019</u>

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष की ओर से सुलह की सम्भावना से इन्कार किया गया। उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं–

1. क्या वादी वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक काबिज है?
2. क्या वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?
3. क्या दावा वादी अल्पमूल्यांकित है?
4. क्या वाद में प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है?
5. क्या न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
6. क्या वाद धारा 34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

इसके अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु विरचित नहीं होता है और न ही पक्षकारों द्वारा अन्य वाद बिन्दु विरचित होने पर बल दिया गया है।

पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3, 4 व 5 हेतु दिनांक 09.05.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
कोर्ट नं० 14, बाराबंकी